शीर्षक : मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा

"स्टॉकहोम सम्मेलन"

मानव द्वारा किए गए अनियंत्रित एवं असंतुलित विकास के फलस्वरूप "पर्यावरण संरक्षण" एक वैश्विक महत्व का विषय बनकर उभरा। मानव जीवन के संरक्षण के लिए पर्यावरण की स्वच्छता एवम् शुद्धता अनिवार्य हो गयी। बीसवीं शताब्दी के 70 के दशक तक विश्व समुदाय इसे लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था लेकिन अम्लवर्षा, ओजोन परत में छिद्र होना जैसी घटनाओं ने मानव समाज का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट किया।

अतः 3 दिसम्बर 1968 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व पर्यावरण अभिसमय आहूत करने का संकल्प लिया। इसका विषय मानव पर्यावरण सम्बन्धी था, ऐसा मानव पर्यावरण जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा मानव पर्यावरण समस्या पर सं.रा. महासभा को 26 मई 1969 को एक रिपोर्ट

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 दिसम्बर 1969 को इस रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान करते हुए मानव पर्यावरण सम्मेलन की तैयारी का दायित्व महासचिव को सौंपा। इस हेतु एक 27 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया जिसका कार्य महासचिव की मदद करना था।

इनके द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन में यह बात निकलकर सामने आई कि मानव पर्यावरण में क्षरण के लिए (अ) बढ़ता शहरीकरण (ब) जनसंख्या वृद्धि एवम् (स) खाद्य, स्थान व प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती माँग एवम् नवीन प्रौद्योगिकी उत्तरदायी हैं। और मानव पर्यावरण के लिए एक व्यवस्थित कार्यवाही, योजना का सृजन आवश्यक है।

साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि (1) वायुमण्डल और समुद्र के प्रदूषण एवं क्षरण की समस्या, सामान्य प्रयोग का लक्ष्य बन सकती है और अंशतः इसलिए कि प्रदूषित या भ्रष्ट करने के लिए रसायनों के प्रभाव को कतिपय मामलों में निर्धारित करना असम्भव होगा। (2) मनुष्य जाति की सामूहिक विरासत के आधार पर वन्य प्रजातियों एवं प्राकृतिक संचय संकटासन्न प्रजातियों के निर्यात, आयात और विक्रय पर नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध की आवश्यकता हो सकती है। (3) पृथ्वी के वायुमण्डल, जलवायु एवं मौसमी दशाओं के परिवर्तन में निर्देशन (4) मानवजाति का प्रोटीन हेतु समुद्र पर अवलम्बित होने का ध्यान में रखकर सामुद्रिक संसाधनों के क्षरण (5) पर्यावरण गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों की परिभाषा (6) सभी देशों में औद्योगिक क्रिया-कलापों पर आपसी नियंत्रण और अवरोध जहाँ ऐसे कार्य पर्यावरण को क्षति पहुँचा सकते हैं; पर कार्यवाहियाँ अपेक्षित हैं।

Scanned by CamScanner

इसी तात्पर्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीडन के स्टॉकहोम नामक नगर में "मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972" आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 5 जून को प्रारंभ होकर 16 जून तक चला। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष "5 जून" को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। मानव पर्यावरण पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 119 देशों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। सभी ने एकमत होकर यह स्वीकार किया कि पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण की समस्या वैश्विक है और इसके निवारण हेतु विकसित तथा विकासशील सभी देशों को एक साथ आगे आना चाहिए।

स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण के सार्वभौमिक संरक्षण हेतु प्रथम प्रयास था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु ध्यान गया।

स्टॉकहोम सम्मेलन को (1) मानवीय पर्यावरण पर घोषणा (2) मानवीय पर्यावरण के लिए कार्ययोजना (3) संस्थागत एवं वित्तीय संस्थाओं पर प्रस्ताव (4) विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा (5) आणविक अस्त्रों के परीक्षण पर प्रस्ताव आदि के लिए जाना जाता है। इस सम्मेलन में सभी सहभागी राज्यों ने "एक ही पृथ्वी" सिद्धांत को स्वीकार किया।

~~स्टॉकहोम~~

Scanned by CamScanner

"स्टॉकहोम घोषणा" के अंतर्गत सात लक्ष्यों व 26 सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है। प्रख्यात विद्वान स्टार्क ने इसकी तुलना मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा 1948 से की है। इसे पर्यावरण के "मैग्नाकार्टा" नाम से भी जाना जाता है।

यह घोषणा दो भागों में विभक्त है; प्रथम भाग में सात लक्ष्यों का तथा द्वितीय भाग में 26 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। जो कि निम्नानुसार है: ⟶

Scanned by CamScanner

स्टाकहोम घोषणा के यर्थाथ सात सत्य

मनुष्य अपने भौतिक आश्रय और बौद्धिक, नैतिक , सामाजिक और आध्यात्मिक विकास का अवसर प्रदान करने वाले पर्यावरण का स्रष्टा या निर्माता और ढालने वाला स्वयं दोनों है। इस ग्रह पर मानवजाति के लम्बे और कुटिल विकास के कारण स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है जहाँ कि विज्ञान और प्रौद्योगिको के त्वरित फैलाव के माध्यम से मनुष्य उपने पर्यावरण को अगणित तरीकों और अपूर्व स्तर पर परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त कर लिया है। मनुष्य के पर्यावरण के दोनों पहलू–प्राकृतिक और मानव निर्मित, उसके कल्याण और मूल मानव अधिकारों यहाँ तक कि स्वयं जीवन के अधिकार के लिये आवश्यक है।

मानव पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एक प्रमुख मुद्दा है जो विश्व भर में

Scanned by CamScanner

लोगों के कल्याण और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। यह पूरे विश्व के लोगों की तात्कालिक इच्छा है और सभी सरकारों का कर्तव्य है कि मानव पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार किया जाय।

- मनुष्य को लगातार अपने अनुभवों से निष्कर्ष निकालना है और लगातार अन्वेषण, अनुसंधान, निर्माण और प्रगति करते रहना है। हमारे समय में मनुष्य की आस–पास के माहौल बदनले की क्षमता है। यदि इसका प्रयोग बुद्धिमानीपूर्वक किया जाय तो सभी लोगों को विकास का लाभ और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने का अवसर मिल सकता है। यदि गलत और असावधानीपूवक इसका प्रयोग किया गया तो वही शक्ति मानव प्राणियों और मानव पर्यावरण की अप्रगणनीय हानि पहुँचा सकती हैं हम अपने आस–पास पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव निर्मित हानि की बढ़ती साक्ष्य का अवलोकन, मानव निर्मित पर्यावरण, विशिष्टतः जीवित और क्रियाशील पर्यावरण में कर रहे हैं। जिसमें जल, वायु, पृथ्वी और जीवित प्राणियों में खतरनाक स्तर तक प्रदूषण; जैवमण्डल के पारिस्थितिकीय संतुलन में प्रमुख अवांछनीय गड़बड़ियाँ; अस्थानापन्नीय संसाधनों की विनष्टि और क्षरण और मानव के भौतिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिये भंयकर न्यूनतायें सम्मिलित है।

- विकासशील देशों में अधिकांशतः पर्यावरणीय समस्यायें अल्पविकास के कारण हैं। लाखों लोग अच्छे मानव अस्तित्व के लिये अपेक्षित नयूनतम स्तर से बहुत नीचे पर्याप्त भोजन और वस्त्र, आवास्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और आरोग्य से वंचित जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिये विकासशील देशों को अपनी वरीयताओं और पर्यावरण के बचाव और सुधार को ध्यान में रखकर विकास का प्रयास करना चाहिये। समान उद्देश्य हेतु औद्योगीकृत देशो को अपने और विकासशील देशों के बीच अन्तराल को कम करने का प्रयास करना चाहिये। औद्योगीकृत देशों में पर्यावरणीय समस्यायें सामान्यतः औद्योगीकृत और प्रौद्योगीकीय विकास से सम्बन्धित हैं।

Scanned by CamScanner

- जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि पर्यावरण संरक्षण के ये सतत् समस्यायें उत्पन्न करती है और इसलिये इन समस्याओं से निपटने के लिये यथोचित प्रयास, नीतियाँ और उपायों को अंगीकृत किया जाना चाहिये । विश्व में सभी वस्तुओं में लोग सर्वाधिक मूल्यवान हैं। यह लोग हैं जो सामाजिक प्रगति प्रेरित करते हैं सामाजिक धन उत्पन्न करते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं और अपने कठोर श्रम के माध्यम से मानव पर्यावरण को लगातार परिवर्तित करते हैं। सामाजिक उन्नति और उत्पादन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ प्रत्येक बीतने वाले दिन मनुष्य की पर्यावरण सुधार क्षमता बढ़ती है।

- इतिहास में एक ऐसे बिन्दु पर पहुचा जा चुका है जहाँ विश्च भर में हमें अपने क्रिया–कलापों को पर्यावरणीय परिणामों के लिये ज्यादा तार्किक ध्यान द्वारा निर्धारित करना चाहिये। अज्ञानता अथवा तटस्थता के माध्यम से हम पृथ्वी के पर्यावरण को बहुत बड़ी और अपरणीय क्षति पहुँचा सकते हैं जिस पर हमारा जीवन और कल्याण आधारित है। इसके विपरीत पूर्ण ज्ञान और बुद्विमत्तापूर्ण कार्यो के माध्यम से हम अपने स्वयं के लिये तथा अपनी भावी पीढ़ी के लिये मानव आवश्यकताओं और आशाओं के अनुरूप वातावरण में बेहतर जीवन प्राप्त कर सकते है। पर्यावरणीय गुणवत्ता की अभिवृद्वि और अच्छे जीवन निर्माण हेतु विस्तृत क्षेत्र हैं। आवश्यकता एक उत्साही लेकिन शांत और गहन मनः स्थिति तथा सुव्यवस्थित कार्य की है। प्राकृतिक संसार में स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु मनुष्य को ज्ञान का प्रयोग प्रकृति के साथ सहयोग कर बेहतर पर्यावरण निर्माण के लिये करना चाहिये। वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिये मानव पर्यावरण का बचाव और सुधार मानवजाति का आज्ञापरक उद्देश्य बन गया है। यह एक ऐसा उद्देश्य है जो शांति और विश्व–व्यापी आर्थिक और सामाजिक विकास के स्थापित मूल उद्देश्यों के साथ –साथ तथा उनसे संगत रूप में प्राप्त करना चाहिये।

- इस पर्यावरणीय उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु नागरिकों और समुदायों, उद्यमों, और संस्थाओं के सभी स्तर पर सामान्य प्रयास साम्यिक भागेदारी से निभाने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिये। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति

Scanned by CamScanner

और विभिन्न क्षेत्रों में संगठन अपने मूल्यों और अपनी कतिपय गतिविधियों के साथ भविष्य की वैश्विक पर्यावरण को निर्मित करेंगे। स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारें अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत वृहद स्तर पर पर्यावरणीय नीति और गतिविधियों के लिये बड़े से बड़ा भार वहन करेंगी। इस क्षेत्र में उत्तदायित्वों को वहन करने में विकासशील देशों की सहायता हेतु संसाधनों में वृद्धि करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भी अपेक्षा होगी। पर्यावरणीय समस्याओं का एक बढ़ता वर्ग क्षेत्रीय और वैश्विक विस्तार के कारण अथवा सामान्य अन्तर्राष्टीय क्षेत्र को प्रभावित करने के कारण राष्ट्रों के बीच गहन सहयोग और सामान्यहित हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कार्यवाहियों की अपेक्षा करेगा। सभी लोगें और भावी पीढ़ी के लाभ हेतु मानव पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिये सम्मेलन, सभी सरकारों ओर सभी लोगों का सामान्य प्रयास करने हेतु आह्वान करता है।

2. स्टाकहोम धोषणा के प्रमुख सिद्धांत .

स्टाकहोम घोषणा के दूसरे भाग में पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा एतर्थ वैश्विक सहयोग संबंधी 26 सिद्धांत स्थापित किये गये है। ये सिद्धांत रूढ़िगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि सिद्धांत की स्थापना से लेकर विकसित देशों के दायित्व एवं विकासशील देशों के विशेषाधिकार एवं व्यक्ति, संस्था, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग की अपेक्षा तक निर्धारित करते हैं। मुख्य सिद्वांत निम्नलिखित हैं :

सिद्धांत 1. मनुष्य के मूलभूत अधिकार है, एक ऐसे पर्यावरण का जिसमें सुखी एवं मानमर्यादापूर्ण जीवन, स्वतंत्रता, समानता और रहन–सहन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो। साथ ही उस पर यह गंभीर उत्तरादायित्व भी है कि वर्तमान व भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुधारे, व उसे सुरक्षित रखे। इस संबंध में रंगभेद नीति, जातीय पृथक्करण, भेद–भाव, औपनिवेशिक और अन्य प्रकार के अत्याचार तथ विदेशी प्रभुत्व को बढ़ावा देना या उसे बनाए रखना अपराध है और उसे मूल से समाप्त करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

सिद्धांत 2. यह उपयुक्त है कि सतर्कतापूर्ण आयोजन तथा व्यवस्था द्वारा पृथ्वी के प्राकृतिक स्त्रोतों जिनमें हवा–पानी पेड़ पौधे, जीव–जन्तु विशेष रूप से प्राकृतिक पारिस्थितिक त्र के नमूने सम्मिलित है। को वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। वह पोषणीय विकास की बात करते हुये मानव हित की बात करते है।

सिद्धांत 3. जीवन से संबंध ऐसे स्त्रोंतों को जिनका नवीकरण संभव है, उनके द्वारा धरती की उपजाऊ क्षमता बनाई रखी जानी चाहिए और जहां तक व्यवहार्य हो उसे पुनः स्थापित किया जाना चाहिए।

सिद्धांत 4. वन्य प्राणी प्रजाति की सुरक्षा करना तथा उनको बुद्धमतापूर्वक व्यवस्थिति करने की विशेष जिम्मेदारी मनुष्य की है। उनके आश्रम स्थलों को आजकल अनेक मिलेजुले कारणों से गंभीर खतरा हो गया है। अतएव प्राकृतिक संरक्षण को जिसमें वन्य प्राणी भी सम्मिलित है आर्थिक आयोजन के विकास में महत्व दिया जाना चाहिए।

सिद्धांत 10. विकासशील देशों के लिए मूल्यों की स्थिरता ओर प्राथमिक वस्तुओं और कच्चे माल के लिए समुचित अर्जन पर्यावरणात्मक प्रबंध विज्ञान कारकों के लिए आवश्यक है और साथ ही पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं पर भी विचार किया जाना चाहिएं।

सिद्धांत 11. सभी राज्यों की पर्यावरणात्मक नीतियों को विकासशील देशों को र्तमान तथा भावी विकास की सम्भाव्यता को बढ़ाना चाहिए न कि प्रतिकूलतः भावित करना चाहिए और न ही उन्हें सभी लोगोंके लिए बेहतर जीवन स्तर की ाप्ति में बाधक होना चाहिए और राज्यों तथा अन्तराष्ट्रीय आर्थिक परिणामों की पूर्ति र सहमति पर पहुंचने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।

सिद्धांत 12. विकासशील देशों की परिस्थितियों तथा विशिष्ट अपेक्षाओं तथा उनके वेकास आयोजन में उनके द्वारा पर्यावरणात्मक सुरक्षा उपायों को शामिल करने से ाने वाली लागतों तथा उनके अनुरोध पर इस प्रयोजन के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय कनीकी तथा वित्तीय सहायता उन्हें उपलब्ध कराने की आवश्यकता को दृष्टिगत

Scanned by CamScanner

रखते हुए पर्यावरण के सुधार तथा पर्यावरण के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

सिद्धांत 13. संसाधनों के अधिक युक्तियुक्त प्रबंध को प्राप्त करने ओर इस प्रकार पर्यावरण में सुधार करने की दृष्टि से राज्य को अपने विकास आयोजन के प्रति एकीकृत तथा समन्वित उपागम अंगीकार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास उनकी जनता के लाभ के लिए पर्यावरण के रक्षण तथा सुधार की आवश्यकता के अनुरूप है।

सिद्धांत 14. युक्तियुक्त आयोजन विकास की आवश्यकता तथा पर्यावरण की रक्षा और सुधार की आवश्यकता के बीच पैदा होने वाले संघर्ष का समाधान करने का एक आवश्यक साधन है।

सिद्धांत 19. पर्यावरण की उसे पूर्ण मानवीय आयामों की रक्षा करने और सुधारने के व्यक्तियों उपकमों तथा समुदायो द्वारा एक जागृति अभिमत तथा उत्तरादायित्वपूर्ण आचरण के आधार को व्यापक करने की दृष्टि से अल्प सुविधा प्राप्त लोगों के संबंध में उचित विचार करते हुए नई पीढ़ी के लिए ओर साथ ही प्रौढ़ों के लिए पर्यावरण संबंधी नियमों में शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि संचार के जन माध्यमों में पर्यावरण का ह्रास न हो बल्कि वे मनुष्य का हर दृष्टि से विकास करने की दृष्टि से पर्यावरण की रक्षा करने तथा उसे सुधारने की आवश्यकता पर शैक्षणिक स्वरूप की जानकारी का प्रसार करें।

सिद्धांत 20. सभी देशों में विशेषतः विकासशील देशों में राष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की पर्यावरणात्मक समस्याओं के संदर्भ में वैज्ञानिक शोध तथा विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस सिलसिले में पर्यावरणात्मक समस्याओं के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए अद्यतन वैज्ञानिक जानकी से मुक्त प्रवाह तथा अनुभव के अन्तरण का समर्थन किया जाना चाहिए और उसमें सहायता दी जानी चाहिए। पर्यावरण समस्याओं के समाधान में विकासशील देशों को ऐसे निबंधनों पर पर्यावरणात्मक प्रौद्योगिकियां उपलब्ध करायी जानी चाहिए, जिनसे उनका व्यापक प्रसार और विकासशील देशों पर कोई आर्थिक भार न पड़े।

Scanned by CamScanner

सिद्धांत 21. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार और अन्तराष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों के अनुसार राज्यों को अपने स्वयं के पर्यावरणात्मक उत्तरादायित्वों के अनुसरण में अपने स्वयं के संसाधनों का दोहन करने का सर्वधिकार है और यह सुनिश्चित करने का उत्तरादायित्व है कि उनके क्षेत्राधिकार की सीमाओं के परे क्षेत्रों के पर्यावरण को क्षति न पहुंचे।

सिद्धांत 22. राज्य ऐसे राज्यों के क्षेत्राधिकार के परे क्षेत्रों में होने वाले प्रदूषण तथा पर्यावरणात्मक क्षति के लिए दायित्व तथा मुआवजे से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय विधि को ओर भी विकसित करने में एक दूसरे से सहयोग करेंगे।

सिद्धांत 23. ऐसे मानदण्डों जो कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा निश्चित किए जाएं या ऐसे मानदण्डों पर जो राष्ट्रीय रूप से निश्चित किए जाएं प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सभी मामलों में प्रत्येक देश में विद्यमान मूल्यों की प्रणालियों पर और उन मानदण्डों की प्रयोजनीयता की सीमा पर जो कि अत्यन्त उन्नत देशों के लिए मान्य हो किन्तु विकासशील देशों के लिए अनुपयुक्त तथा अनपेक्षित सामाजिक लागत वाले हो, विचार करना आवश्यक होगी।

सिद्धांत 24. पर्यावरण की रक्षा और सुधार से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर सभी देशों द्वारा चाहे वे छोटे हो या बड़े हो सहयोग की भावना से या बराबरी के आधार पर कार्यवाही की जानी चाहिए। सभी क्षेत्रों में होने वाले किया–कलापों से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणात्मक प्रभावों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने, रोकने कम करने और समाप्त करने के लिए बहुपक्षीय या द्विपक्षीय व्यवस्थाओं द्वारा या अन्य उपयुक्त साधनों द्वारा इस प्रकार से सहयोग करना आवश्यक है। कि सभी राज्यों की सार्वभौमता तथा उनके हितों का उचित ध्यान रखा जाए।

सिद्धांत 25. राज्य यह सुनिश्चित करें कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार के लिए एक समन्वित सक्षम तथा गतिशील भूमिका का निर्वाह करते है।

सिद्धांत 26. मनुष्य और उसके पर्यावरण को आणविक हथियारों तथा जनसंहार के अन्य साधनों के प्रभावों से बचाया जाना चाहिए। राज्यों को ऐसे हथियार की

Scanned by CamScanner

समाप्ति तथा उनके पूर्ण विनाश के संबंध में सम्बंधित अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों में शी
सहमति पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।

Scanned by CamScanner